

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर।

आ दे श

रामअवतार बनाम राजस्थान राज्य ।
(एकलपीठ दण्डिक जमानत प्रार्थना पत्र संख्या-12081/2012)

30.11.2012

माननीय न्यायाधिपति श्री महेश चन्द्र शर्मा

श्री योगेश सिंघल, अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी।
श्री पीयूष कुमार, लोक अभियोजक वास्ते राज्य।

प्रार्थी द्वारा यह जमानत का प्रार्थना पत्र दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किये जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क है कि प्रार्थी के विरुद्ध आरोपित आरोप गम्भीर प्रकृति के नहीं हैं। उनका यह भी तर्क है कि प्रकरण के निस्तारण में समय लगना सम्भावित है। अतः प्रार्थी को जमानत पर स्वतंत्र किया जावे।

लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया।

प्रकरण के समग्र तथ्यों एवं परिस्थितियों पर दृष्टिपात करने के उपरान्त, प्रकरण के गुणावगुण पर किसी प्रकार का कोई मत अभिव्यक्त किये बिना मैं प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-439 के प्रावधान आकर्षित करते हुए प्रार्थी को समुचित जमानत राशि पर जमानत की सुविधा प्रदान किया जाना उचित समझता हूं।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी रामअवतार पुत्र ज्ञानसिंह विचारण न्यायालय के संतोष अनुसार 50,000/-रूपये (अक्षरे पचास हजार) का व्यक्तिगत बन्ध पत्र व 25,000/-रूपये (अक्षरे पच्चीस हजार) राशि की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूति इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे कि वह प्रकरण के विचारण के दौरान प्रत्येक तारीख पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होता रहेगा एवं यदि वह अन्य किसी प्रकरण में वांछित न हो तो उसे आरक्षी केन्द्र, भुसावर जिला-भरतपुर पर पंजीबद्ध प्राथमिकी संख्या-

495/2012 से सम्बन्धित प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर स्वतंत्र कर दिया जावे।

(न्या. महेश चन्द्र शर्मा)

एमसीएस.

“All corrections made in the judgment/order have been incorporated in the judgment/order being emailed”

Mahesh Chandra Sharma

P. S.